

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.8(1)विधि-2/विरसं.(09)/2011 पार्ट/97

जयपुर, दिनांक:- 24.07.2025

आज्ञा

राजस्थान राज्य में मध्यस्थता प्रकरणों में मध्यस्थों को देय मानदेय की दरों में निम्नानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

S. No.	Nature of Case	Honorarium
1.	On Successful settlement through Mediation	(a) Rs. 7000/- per case (b) Connected cases Rs. 1000/- per case (Maximum of Rs. 9000/-)
2.	In case of no settlement	Lump-sum Rs. 3000/- (Irrespective of number of cases)

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102500487 दिनांक 23.07.2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

E-1

(सुरेन्द्र पुरोहित)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. सहायक निवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं.)

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 8(1)विधि-2/2011/पार्ट VIII/133

जयपुर, दिनांक : 01-07-2015

—:आज्ञा:—

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को मध्यस्थों को संदत्त किये जाने वाले मानदेय की दरों के निर्धारण के बारे में निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S.No.	Nature of case	Honorarium
01	On settlement through mediation of a matrimonial case [including criminal], custody, guardianship possession.	Rs. 3000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 4000/-]
02	All other matters.	Rs. 2000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 3000/-]
03	Connected case	Rs. 500/- per case subject to a maximum of Rs. 1000/- [regardless of the number of connected cases]
04	In case of no settlement	No honorarium.

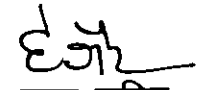
वित्त विभाग की यह भी टिप्पणी है कि उक्त दरें आज्ञा जारी करने के दिनांक से लागू होंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 101502460 दिनांक 29.06.2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वि.र.सं.) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सहायक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वि.र.सं.) विभाग

800
3-7-2015

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

12
12.7.18

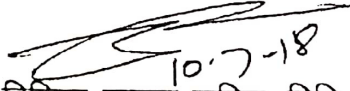
क्रमांक: प.8(1)विधि-2/विरसं(9)/2011 पार्ट/ 86/

दिनांक : 12/07/18

आज्ञा

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से मध्यस्थ के द्वारा 3 या उससे अधिक बैठक करके पक्षकारों के मध्य राजीनामा करवाने का प्रयास किया जाता है और उसके उपरान्त भी पक्षकारों के बीच राजीनामा संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता केन्द्र के प्रभारी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र दिये जाने पर असफल प्रकरणों में भी मध्यस्थ को रुपये 1000/- मानदेय दिये जाने की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 101803343 दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


10.7.18
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. सहायक निवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


10.7.18
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं.)

PS
1315
12.7.18

may 12/7/18

M.O

12.7.18

12.7.18

श्री प्रदीप जी